राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी:— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 07/2023 प्रा0पत्र

अनवान

नैनू सिंह पुत्र दीप सिंह जाति रावत आयु 45 वर्ष निवासी लाखागुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद
2. मदनसिंह पुत्र रूकमणसिंह
3. सुनीलसिंह पुत्र रूकमणसिंह
4. श्रवणसिंह पुत्र रूकमणसिंह
5. तुलसीदेवी पत्नी दीपसिंह
6. कैलाशसिंह पुत्र पूनमसिंह
7. नारायणसिंह पुत्र पूनमसिंह
8. हंजादेवी पत्नि पूनमसिंह
9. कमलादेवी पत्नी भंवरसिंह
10. हरिसिंह पुत्र मोतीसिंह
11. नारायणसिंह पुत्र मोतीसिंह
12. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह

समस्त जाति रावत आयु बालिग निवासीयान लाखागुडा तहसील भीम जिला राजसमन्द
.......................अप्रार्थीगण

उपस्थिति :—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चिमनसिंह
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम (राजसमन्द)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक:— 12/11/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की मौजा लाखागुडा पटवार हल्का लाखागुडा तहसील भीम में निम्न कृषि भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 665 आराजी नम्बर 1372, 2096, 2128, 2135, 2153, 2157, 2158, 2160, 2264, 2265, 2919/1851 कुल खसरे 11 कुल रकबा 1.4588 हैक्टेयर एवं वर्तमान खाता संख्या 66 आराजी नम्बर 2131 रकबा 0.0202 किस्म गै. मु. चाह, वर्तमान खाता संख्या 667 आराजी नम्बर 2154 रकबा 0.0162 किस्म गै. मु. चाह स्थित है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज यथा बैंक डायरी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि में नैनूसिंह नाम दर्ज है जबकि उक्त वर्णित आराजीयत में सहुवन से प्रार्थी का नाम पप्पूसिंह पुत्र दीपसिंह लिपिकिय त्रुटि से दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम पप्पूसिंह पुत्र दीपसिंह के स्थान पर नैनूसिंह पुत्र श्री दीपसिंह दर्ज कराने हेतु

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र, जमाबंदी की प्रतिलिपि, आधार कार्ड, बैंक डायरी, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1, तहसीलदार भीम द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा अनुसार पप्पूसिंह पुत्र दीपसिंह के स्थान पर नैनूसिंह पुत्र दीपसिंह दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त नाम शुद्धि उचित है तथा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थी ने बहस में भी प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर खाता संख्या 665 आराजी नम्बर 1372, 2096, 2128, 2135, 2153, 2157, 2158, 2160, 2264, 2265, 2919/1851 कुल खसरे 11 कुल रकबा 1.4588 हैक्टेयर एवं वर्तमान खाता संख्या 66 आराजी नम्बर 2131 रकबा 0.0202 किस्म गै. मु. चाह, वर्तमान खाता संख्या 667 आराजी नम्बर 2154 रकबा 0.0162 किस्म गै. मु. चाह भूमि में प्रार्थी का नाम पप्पूसिंह पुत्र दीपसिंह के स्थान पर नैनूसिंह पुत्र दीपसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/11/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम (राजसमन्द)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भीम
भीम
जिला-राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner